न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:— 432/2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88/53 आरटीए व 136 एलआरएक्ट

1. महावीर प्रसाद पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)।
2. राकेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट नि.बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।

— वादीगण

बनाम्

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र गंगाजल भादू जाति जाट नि.भाखरांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
2. रामजीराम पुत्र डूंगर राम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
3. लालचन्द पुत्र डूंगर राम (फौत)
3/1 कमला देवी पत्नि लालचन्द जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3/2 राकेश पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
3/3 जयवन्ती पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
3/4 सुनिता पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
3/5 उर्मिला पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
3/6 सविता पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
4. जय सिंह पुत्र डूंगर राम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
5. विनोद कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
6. शकुन्तला देवी पत्नी राधेराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
7. कमला देवी पत्नी राधेराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
8. महेन्द्र कुमार पुत्र राधेराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
9. सकेन्द्र कुमार पुत्र राधेराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
10. सुभाष पुत्र राधेराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
11. कैलाश पुत्री राधेराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
12. सुनिता देवी पुत्री राधेराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
13. प्रमीला पुत्री राधेराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
14. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
15. रामप्यारी पुत्री सिंगारी पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री नरेश मण्डा वकील वादीगण
2— श्री संजय धारणियां — वकील प्रति सं. 1,2,3/1 ता 3/6, 4 ता 13, 15
3— तहसीलदार राजस्व संगरिया—राज—पैरोकार प्रति.संख्या 14

निर्णय दिनांक :— 4.3.2025

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अन्तर्गत वही है जो वाद शीर्षक में अंकित है। चक 16 बी.जी.पी. जमाबंदी सम्वत 2071—2074 के खाता सं. 51/59 वादी सं. 1 के नाम से 3/8 हिस्सा अर्थात 3.795 है.,चक 5 एच.आ.पी. की जामबंदी सम्वत 2071—2074 के खाता सं. 175/124 में 3.374है. में से 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 3/8 हिस्सा अर्थात 3.795 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार है वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के साथ अपनी पैतृक कृषि भूमि का बटवारा पंचायत में हो चुका है घरेलू बटवारा के मुताबिक ग्राम बोलांवाली की कृषि भूमि महावीर प्रसाद के परिवार के हिस्सा में आई है व भाखरांवाली की कृषि भूमि सुरेन्द्र कुमार के

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

...कार के हिस्सा में आई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण घरेलू बटवारा के अनुसार अपनी–अपनी कृषि भूमि ...र निर्विवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है,जिसकी रूह से ...दीगण उक्त कृषि भूमि की मालिक व काबिज है। जिसका खाता विभाजन करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वाद–पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण नाम से दर्ज रिकार्ड है परन्तु कृषि भूमि का सांझा खाता की होने के कारण किला का विभाजन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नही हुआ है । वादीगण व प्रतिवादीगण ने घरू तौर पर उक्त कृषि भूमि का विभाजन कर लिया है। चक 16 बी.जी.पी. जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता सं. 51/59 वादी सं. 1 के नाम से 3/8 हिस्सा अर्थात 3.795 है. व वादी सं. 2 के नाम से 3/8 हिस्सा अर्थात 3.795 है. कृषि भूमि मौका पर वादीगण के कब्जा काश्त में है। जिसे वादीगण अपना खाता विभाजित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि निम्न प्रकार से है:–

(क) वादी सं. 1 महावीर प्रसाद पुत्र गंगाजल 3.795है. ,वादी सं. 2 राकेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद 3.795 है. जाति जाट निवासी बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

चक 16 बी.जी.पी. खाता सं. 51/59		
प.नं.	मु.न.	किला नम्बर
172/159	15	16/1/0.228है. ,16/2/0.025है. गैमु.रास्ता, 22/0.253है.,23/0.253है. ,24/0.253है.. 25/1/0.228है. ,25/2/0.025है. गैमु.रास्ता
173/159	14	19/0.253है.20/0.253है.21/0.253है.22/0.253है.,23/0.253है.,24/0. 253है 25/1/0.228है. ,25/2/0.025है. गैमु.खाला
174/159	13	21/0.253है.
172/160	21	2/0.253है.3/0.253है.4/0.253है.5/1/0.228है.5/2/0.025है.गैमु.रास्ता 6/1/0.228है.6/2/0.025है.गैमु.रास्ता 7/0.253है.,8/0.253है.,9/0.253 है.,10/0.253है. 12/0.253है.13/0.253है. ,19/0.253है.
173/160	22	1/0.253है.4/0.253है.5/0.253है.,10/0.253है.
174/160	23	1/0.253है.

वादी सं.1 के पिता का नाम अन्य सभी दस्तावेजों में गंगाजल दर्ज है परन्तु जमाबन्दी में सहवन से गंगाराम दर्ज है जिससे वादीगण को नाम गलत होने से अनेक प्रकार की कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है जिसे चक 16 बी.जी.पी. के खाता सं.51/59 में वादी सं.1 के पिता का नाम गंगाराम के स्थान पर दुरस्त कर महावीर प्रसाद पुत्र गंगाजल व चक 5 एच.आ.पी. के खाता सं. 175/124 में प्रतिवादी सं. 1 के पिता का नाम जमाबंदी में गंगाजल अंकित है जिसे सुरेन्द्र कुमार पुत्र गंगाजल भादू करवाने के अधिकारी एव दावेदार है। चक 16 बी.जी.पी. के खाता सं. 51/59 में मृतक सह खातेदार सिंगारी के वारीसान पूर्व में वादपत्र में प्रतिवादी सं. 2 ता 6 के रूप में वाद पत्र में संयाजित है व खातेदार राधेराम की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारीसान प्रतिवादी सं. 6 ता 13 को वाद पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है। वादीगण मौका पर वाद–पत्र की चरण सं. 3 के खण्ड (क)के अनुसार ही काबिज है कब्जा काश्त बाबत् किसी तरह का कोई विवाद नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में कब्जा अनुसार विभाजन न होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर बुरा असर पड़ता है व रकम राज वाटरमेन्ट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा की आप विवाद ग्रस्त आराजी का वादी को दावा की चरण सं. 3 के अनुसार कृषि भूमि की विभाजन होना मान लो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटौल करते रहे लेकिन अंत में पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण, वादीगण की बात मानने से कतई तौर पर इन्कार हो गये यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 14 को भूमि धारक होने के कारण पक्षकार के रूप संयोजित किया गया है। वाद कृषि भूमि के जोत के विभाजन का है जो कि उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है व अन्दर मियाद है माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

लिहाजा वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे कि चक 16 बी.जी.पी. जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता सं. 51/59 में अंकित वादी सं. 1 के नाम 3.795 है. व वादी स. 2 को 3.795 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर सुरेन्द्रकुमार पुत्र गंगाजल का नाम कलमजन व चक 5 एच.आर.पी. के खाता सं. 175/124 में महावीरप्रसाद पुत्र गंगाजल का नाम कलमजन किया जावे तथा वाद–पत्र की चरण सं. 3 के खण्ड (क) के अनुसार खाता विभाजित कर रकमराज अलग से कायम किया जावें एवं वादी स. 1 पिता का नाम दुरस्त कर गंगाजल व प्रतिवादी सं. 1 के पिता का नाम गंगाजल भादू किया जावें।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3/1 ता 3/6, 4 ता 13 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 15 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश नही करने एव वाद पत्र को डिक्री किये जाने का निवेदन करते हुए जवाबदावा बन्द करने का कथन किया। प्रतिवादी संख्या 14 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वादीगण ने काउन्टर क्लेम का कोई विरोध नही किया। साक्ष्य वादी में वादी राकेश कुमार ने शपथ पत्र अ. आ. 18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ चक 16 बीजीपी खाता संख्या 51/59 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 व चक 5 एचआरपी खाता संख्या 175/124 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 एवं चक 5 एचआरपी खाता संख्या 20/14 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की जमाबन्दियां पेश की गई तथा वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रकरण में सहमति हो जाने के कारण अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण साक्ष्य वादीगण एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादीगण व प्रतिवादीगण आपस मे सहमत है और सहमति का जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम व राजीनामा भी पेश हो चुका है एवं वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। तथा वकिल प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3/1 ता 3/6, 4 ता 13, 15 ने भी वाद पत्र को डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दौराने बहस दी गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णितानुसार चक 16 बीजीपी खाता संख्या 51/59 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 एव चक 5 एचआरपी खाता संख्या 175/124 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में वादग्रस्त आराजी दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 1, 2, 3/1 ता 3/6, 4 ता 13, 15 ने जरिये अधिवक्ता सहमति का जवाब दावा/राजीनामा पेश कर अपना हक/हिस्सा अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवांब दावा मय काउन्टर क्लेम एवं राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार वादीगण का वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम आंशिक स्वीकार कर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 16 बी.जी.पी. जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता सं. 51/59 में अंकित वादी सं. 1 के नाम 3.795 है. व वादी सं. 2 को 3.795 है. का खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
भीरेसा

खातेदार घोषित कर सुरेन्द्र कुमार पुत्र मंगलचंद का नाम कमजावत कर चक 5 एस.आर.पी. के खाता सं. 172/164 में महावीर प्रसाद पुत्र मंगलचंद का नाम कमजावत किया जाने तथा वादी सं. 1 के पिता का नाम मंगाराम के स्थान पर मंगलचंद व प्रतिवादी सं. 1 के पिता का नाम मंगलचंद के स्थान पर मंगलचंद बाबू दुरुस्त किया किया जाकर वादीगण का खाता हिस्सानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:-

1. वादी सं. 1 महावीर प्रसाद पुत्र मंगलचंद 1/795 है, वादी सं. 2 राकेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद 1/795 है जाति जाट निवासी बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ की प्राप्त कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

चक 16 बी.जी.पी. खाता सं. 61/69		
मु.नं.	मु.न.	किला नम्बर
172/159	15	16/1/0.228है, ,16/2/0.025है गैमु.रास्ता, 22/0.253है,23/0.253है ,24/0.253है 25/1/0.228है,25/2/0.025है गैमु.रास्ता
173/159	14	19/0.253है,20/0.253है,21/0.253है,22/0.253है,23/0.253है,24/0.253है 25/1/0.228है, ,25/2/0.025है गैमु.खाला
174/159	13	21/0.253है.
172/160	21	2/0.253है,3/0.253है,4/0.253है,5/1/0.228है,5/2/0.025है गैमु.रास्ता 6/1/0.228है,6/2/0.025है गैमु.रास्ता 7/0.253है,8/0.253है,9/0.253 है ,10/0.253है, 12/0.253है,13/0.253है ,19/0.253है
173/160	22	1/0.253है,4/0.253है,5/0.253है,10/0.253है.
174/160	23	1/0.253है.

नोट:- चक 16 बीजीपी के खाता संख्या 61/69 में राधेश्याम पुत्र दूनाराम का 0.018 है. हिस्सा कम कर वादीगण का 0.018 है. बहिस बढ़ाये जाने तथा मु.नं. 173/160 के मु.नं. 22 के किला नं. 10/0.018 है. किला की दक्षिणी दिशा में गै.मु.रास्ता जो मुख्य रास्ता से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर किला नं. 11 के साथ-साथ गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 4.3.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88/53 आरटीए व 136 एलआरएक्ट

प्रकरण संख्याः– 432/2023

1.महावीर प्रसाद पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
2.राकेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट नि.बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।

– वादीगण

बनाम्

1.सुरेन्द्र कुमार पुत्र गंगाजल भादू जाति जाट नि.भाखरांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
2.श्योजीराम पुत्र डूंगर राम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
3.लालचन्द पुत्र डूंगर राम (फौत)
3/1 कमला देवी पत्नि लालचन्द जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3/2 राकेश पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
3/3 जयवन्ती पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
3/4 सुनिता पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
3/5 उर्मिला पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
3/6 सविता पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
4. जय सिंह् पुत्र डूंगर राम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
5. विनोद कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
6. शकुन्तला देवी पत्नी राधेराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
7. कमला देवी पत्नी राधेराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
8. महेन्द्र कुमार पुत्र राधेराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
9. सकेन्द्र कुमार पुत्र राधेराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
10.सुभाष पुत्र राधेराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
11.कैलाश पुत्री राधेराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
12.सुनिता देवी पुत्री राधेराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
13.प्रमीला पुत्री राधेराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
14.तहसीलदार राजस्व संगरिया।
15.रामप्यारी पुत्री सिंगारी पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा व़कील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री संजय धारणियां वकील प्रतिवादी संख्या 1,2,3/1 ता 3/6, 4 ता 13, 15 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 16 बी.जी.पी. जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता सं. 51/59 में अंकित वादी सं. 1 के नाम 3.795 है. व वादी सं. 2 को 3.795 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर सुरेन्द्र कुमार पुत्र गंगाजल का नाम कलमजन एव चक 5 एच.आर.पी. के खाता सं. 175/124 में महावीर प्रसाद पुत्र गगांजल का नाम क़लमजन किया जावे तथा वादी सं. 1 के पिता का नाम गंगाराम के स्थान पर गंगाजल व प्रतिवादी सं. 1 के पिता का नाम गंगाजल के स्थान पर गंगाजल भादू दूरूस्त किया किया जाकर वादीगण का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

1. वादी सं. 1 महावीर प्रसाद पुत्र गंगाजल 3.795 है. , वादी सं. 2 राकेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद 3.795 है. जाति जाट निवासी बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

चक 16 बी.जी.पी. खाता सं. 51 / 59		
प.नं.	मु.न.	किला नम्बर
172 / 159	15	16 / 1 / 0.228है. ,16 / 2 / 0.025है. गैमु.रास्ता. 22 / 0.253है.,23 / 0.253है. ,24 / 0.253है. 25 / 1 / 0.228है.,25 / 2 / 0.025है. गैमु.रास्ता
173 / 159	14	19 / 0.253है.20 / 0.253है.21 / 0.253है.22 / 0.253है.,23 / 0.253है.,24 / 0.253है. 25 / 1 / 0.228है. ,25 / 2 / 0.025है. गैमु.खाला
174 / 159	13	21 / 0.253है.
172 / 160	21	2 / 0.253है.3 / 0.253है.4 / 0.253है.5 / 1 / 0.228है.5 / 2 / 0.025है.गैमु.रास्ता 6 / 1 / 0.228है.6 / 2 / 0.025है.गैमु.रास्ता 7 / 0.253है.,8 / 0.253है.,9 / 0.253 है. ,10 / 0.253है. 12 / 0.253है.13 / 0.253है. ,19 / 0.253है.
173 / 160	22	1 / 0.253है.4 / 0.253है.5 / 0.253है.,10 / 0.253है.
174 / 160	23	1 / 0.253है.

नोटः– चक 16 बीजीपी के खाता संख्या 51 / 59 में रावेराम पुत्र डूंगरराम का 0.018 है. हिस्सा कम कर वादीगण का 0.018 है. बहिब बढाये जाने तथा प.न. 173 / 160 के मु.न. 22 के किला नं. 10 / 0.018 है. किला की दक्षिणी दिशा में गै.मु.रास्ता जो मुख्या रास्ता से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर किला नं. 11 के साथ–साथ गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अनल दरामद कर दिया जावे।

...जिज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत....X....निल 100/ खर्चा मुकदमें के मय शुदं वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक....X....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 4.3.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner